उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग– 1

संख्या– 3185/60–1–12–1/13 (71)/06

लखनऊ : दिनांक 07 सितम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के अंतर्गत निहित प्राविधानों के अनुरूप राज्य स्तर पर गठित होने वाली राज्य परियोजना सहायता यूनिट (SPSU), राज्य बाल संरक्षण संस्था (SCPS) एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) की सेवा संरचनाओं के तहत शासनादेश सं0–3007/60–1–12–1/13(71)/06, दिनांक 04 सितम्बर, 2012 द्वारा सृजित पदों पर चयन हेतु राज्य स्तर पर एतदद्वारा निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाती है :–

1–	निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।	– अध्यक्ष
2–	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित अधिकारी (संयुक्त निदेशक स्तर)।	– सदस्य
3–	निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा नामित अधिकारी (संयुक्त निदेशक स्तर)।	– सदस्य
4–	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण, उ0प्र0/सदस्य, राज्य बाल संरक्षण समिति, उ0प्र0।	– सदस्य सचिव
5–	क्षेत्रीय निदेशक, निपसिड, लखनऊ।	– सदस्य
6–	विशेषज्ञ, बाल संरक्षण, यूनीसेफ, लखनऊ।	– सदस्य

2– उपरोक्त के अतिरिक्त जनपदों में जिला बाल संरक्षण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की सेवा संनरचनाओं में शासनादेश सं0–3007/60–1–12–1/13 (71)/06, दिनांक 04 सितम्बर, 2012 द्वारा सृजित पदों पर चयन हेतु जनपद स्तर पर एतदद्वारा निम्नानसुर चयन समिति गठित की जाती है :–

1.	जिला अधिकारी	– अध्यक्ष
2.	उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी (संबंधित मण्डल)	– सदस्य
3.	जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी	– सदस्य सचिव
4.	प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड	– सदस्य
5.	अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति	– सदस्य
6.	बाल संरक्षण/बाल अधिकार/समाज कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ(जिलाधिकारी द्वारा नामित)	– सदस्य

3– उपरोक्त जनपद स्तरीय चयन समिति में जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद के मा0 जनपद न्यायाधीश से परामर्श क्रर प्रधान मजिस्ट्रेट को नामित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। राज्य परियोजना सहायता यूनिट, राज्य बाल संरक्षण संस्था, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण संस्था, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की सेवा संरचना के अंतर्गत सृजत पदो पर चयन की कार्यवाही उक्त शासनादेश सं0–3007/60–1–12–1/13(71)/06, दिनांक 04 सितम्बर, 2012 में विहित प्रकिया/शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से सम्पन्न करायी जायेगी।

सदाकान्त
प्रमुख सचिव।

संख्या–3185 (1)/60–1–12, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जनपद न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, उत्तर प्रदेश।
6– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार चयन समिति में अधिकारी नामित करें।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9– निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार चयन समिति में अधिकारी नामित करें।
9– समस्त प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त मण्डलीय उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11– समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश।
13– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव।